18/6/18 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया गया। एवं मामले आज के प्रकरण की जानकारी ली गई। जानकारी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सन् 01.9.11 फौत हो चुके हैं एवं मौजूदा दावा विवादित जमीन में हैं कब्जा हस्तांतरण भी हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फैसले शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सर्व अनालाप केस मसलिहत के मुताबिक गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner